संख्या:93/2021/1363565/12-2099/86/2021-

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 27 दिसम्बर, 2021

विषय: कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराना एवं उर्वरकों की ससमय व्यवस्था कराने, उर्वरकों की बिक्री/वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से कराने एवं यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, ओवररेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी की सतत निगरानी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान समय में प्रदेश में कृषकों के द्वारा रबी फसलों की बुआई/रोपाई का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरान्त खड़ी फसलों में यूरिया उर्वरक की आवश्यकतानुसार टॉप-ड्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में यूरिया उर्वरक की मांग में वृद्धि हुई है। कृषकों को निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में गुणवत्तायुक्त यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं जमाखोरी/कालाबाजारी/निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री, यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों/उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लागना शासन की प्राथमिकता है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है:-

(i) शासनादेश संख्या: 85/2021/1363565/12-2009/86/2021,दिनॉक 16 नवम्बर, 2021 के द्वारा सुगमतापूर्वक गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित है। समिति द्वारा जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरक की क्षेत्रीय कृषकों की वास्तविक मॉग के अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों हेतु आवंटन किया जाए, जिससे जनपद के समस्त क्षेत्रों में मॉग के अनुरूप सुगमतापूर्वरक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करायी जाए।

(ii) समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करायी जाये तथा पी0ओ0एस0 में प्रदर्शित स्टॉक का बिक्री केन्द्र में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक से सत्यापन कराया जाये।

(iii) वर्तमान में प्रयोग होने वाली मुख्य उर्वरक यूरिया की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाये, यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम,1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही करायी जाये।

(iv) उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा यूरिया उर्वरक के साथ जबरन किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरक/उत्पादों की टैगिंग करके बिक्री न की जाए। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाये, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक/उत्पाद भी क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है, उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(v) कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर ही नियंत्रित तरीके से बोई गई फसल की संस्तुतियों के अनुरूप यूरिया उर्वरक की बिक्री की जाए, जिससे समस्त कृषकों की मॉग को पूरा किया जा सके।

(vi) फुटकर के साथ-साथ थोक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टॉक का भी सघन निरीक्षण किया जाए। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक विक्रेता अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण स्थानीय स्तर पर कर कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर रहे हों। यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है तो स्टॉक को बाजार में कृषकों में बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाए एवं सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाए।

2. अतएव, ऐसे उर्वरक विक्रेता/असमाजिक तत्व, जो, अवैध गतिविधियों यथा जमाखोरी, कालाबाजारी/अधिक दामों पर उर्वरकों की बिक्री/अन्य कम प्रचलित उर्वरकों/उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री/तस्करी/अधोमानक उर्वरकों की बिक्री में संलिप्त पाया जाता है, उनके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित सुसंगत प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:93/2021/1363565(1)/12-2099/86/2021 तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, प्रदेश, लखनऊ,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in